

[2023] 4 एस.सी.आर. 829

माघवेन्द्र प्रताप सिंह @ पंकज सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(आपराधिक अपील सं. 915/2016)24 अप्रैल, 2023

[न्यायाधीशगण : बी. आर. गवई तथा संजय करोल]

दंड संहिता, 1860: धारा 302, 201, 120 ख- परिस्थितिजन्य साक्ष्य-आपराधिक षड्यंत्र-व्यवसायी-पीड़ित को पैसे के लिए धमकी दी गई और दो मोटरसाइकिल चालकों द्वारा गोली मार दी गई-अपीलार्थी और कई अन्य लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया-विचारण न्यायालय ने एक को छोड़कर सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराया और दण्डादिष्ट किया- हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को छोड़कर सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया-अपील पर अभिनिर्धारित किया: अभियोजन का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है, क्योंकि घटना स्थल पर कोई भी उपस्थित नहीं पाया गया था- किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया-जांच अधिकारी की गवाही की सत्यता विभिन्न खामियों के कारण विश्वास को प्रेरित नहीं करती है-रिकॉर्ड पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है जो बताता है कि अपीलकर्ता ने अपराध करने की साजिश रची थी-इसके अलावा अन्य सभी अभियुक्तों को अधोन्यायालयों द्वारा दोषमुक्त किया गया था और केवल एक व्यक्ति साजिश नहीं रच सकता था- इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने साक्षियों की गवाही को उनके वास्तविक महत्व और अर्थ में मूल्यांकन किये बिना तथा अपीलकर्ता

की मिलीभगत के बारे में कोई चर्चा किए बिना, लापरवाहीपूर्वक, यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रकरण जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, स्थापित किया है - उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि सभी मानवीय संभावनाओं में कृत्य अपीलकर्ता के द्वारा किया गया होगा- किसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में अपीलकर्ता के अपराध के विनिश्चय करने का सिद्धांत संभावना का नहीं अपितु निश्चितता का है तथा सभी साक्ष्यों को केवल एक ही परिकल्पना को निर्णायक रूप से इंगित करना चाहिए जो कि अपराधी का अपराध है- इस प्रकार, उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है-आयुध अधिनियम, 1959-धारा 25(1)(1-ख)(क)-साक्ष्य अधिनियम, 1872-दंड प्रक्रिया संहिता, 1974-अध्याय 12।

दंड संहिता, 1860: 120-ख - के तहत आपराधिक षड्यंत्र का आरोप- की मूलभूत आवश्यकता-अभिनिर्धारित किया-धारा 120 ख के तहत आपराधिक षड्यंत्र के आरोप को स्थापित करने के लिए, पक्षों के मध्य एक अवैध कृत्य करने का समझौता विद्यमान होनी चाहिए- प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव की स्थिति में, किसी व्यक्ति को धारा 120 ख के तहत अपराधी मानना सुरक्षित नहीं है- आपराधिक साजिश के अपराध को साबित करने के लिए, इच्छित सामान्य उद्देश्य के लिए साजिशकर्ताओं के बीच मन के मेल/सहमति/समझौता को दिखाना अनिवार्य है-तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता को केवल आपत्तिजनक सामग्रियों/वस्तुओं के स्थान को छिपाने और आपसी सहमति स्थापित करने के लिए किसी भी साक्ष्य के अभाव में आपराधिक साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा

सकता है-यह देखते हुए कि अन्य सभी सह-अभियुक्तों को अधोन्यायालयों द्वारा निर्दोष मानते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः आपराधिक साजिश की मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: अध्याय 12-जांच अधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां-
उनका अनुपालन-अभिनिर्धारित हुआ: अन्वेषण अधिकारी वह व्यक्ति है जिसे एक निर्देश, गति, तरीका और जांच की विधि निर्धारित करने का काम सौंपा गया है- दं०प्र०सं० के तहत शांति बनाए रखना और विधि के शासन को बनाए रखना, उसका संवैधानिक दायित्व है-अन्वेषण अधिकारी, हत्या के अपराध की जांच करने के लिए एक पुलिस अधिकारी की अपेक्षा और आवश्यकता के अनुसार जांच करने में बुरी तरह विफल रहा, विशेष रूप से जब एक भी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य मौजूद नहीं है और पूरा प्रकरण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है-अन्वेषण अधिकारी ने उस पर अधिरोपित दायित्वों को पूरा नहीं किया- अन्वेषण अधिकारी का आचरण कई विसंगतियों से प्रभावित है, जिससे उसके द्वारा या उसके निर्देशों पर की गई जांच प्रश्नाधीन हो जाती है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 अभियोजन पक्ष का प्रकरण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, क्योंकि घटना स्थल पर कोई भी मौजूद नहीं पाया गया था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का यह भी मामला नहीं है कि वर्तमान अपीलार्थी ने उसके बयान, जो कथित तौर पर स्वतंत्र गवाहों अभि०सा०-6 और अभि०सा०-7 की उपस्थिति में पुलिस अधिकारी-अभि०सा०-23 के सामने दिया गया था, के आधार पर कथित रूप से बरामद बंदूक का इस्तेमाल किया था या मृतक को गोली मारी थी। [पैरा 10 और 11] [837-जी-एच]

1.2. स्वतंत्र गवाह अभि०सा०-6 और अभि०सा०-7 में से किसी ने भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। लोक अभियोजक द्वारा की गई व्यापक प्रतिपरीक्षा के बावजूद, उनकी गवाही से अभियुक्त के किसी भी अपराध का संकेत देने वाली कोई ठोस बात सामने नहीं आ सकी। मृतक के भतीजे अभि०सा०-1 ने किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है, न ही उसने किसी भी आरोपी के विरुद्ध कोई संदेह या उंगली उठाई है, वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं। अन्वेषण अधिकारी-अभि०सा०-23 की गवाही की बारीकी से जाँच से पता चलता है कि हत्या के अपराध की जाँच करने के लिए एक पुलिस अधिकारी की अपेक्षा और आवश्यकता के अनुसार जाँच करने में साक्षी बुरी तरह विफल रहा, विशेष रूप से जब एक भी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य मौजूद नहीं है और पूरा प्रकरण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। [पैरा 14, 18 और 19] [838-एफ; 839-सी-डी]

1.3. पीड़ित का मानववध विवाद में नहीं है। अन्वेषण अधिकारी के परिसाक्ष्य में यह सामने आया है कि 27.9.2009 को, शिकायत दर्ज करने के बाद, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया; प्रारंभिक जाँच की; शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और कई आपत्तिजनक वस्तुओं को एकत्र किया। उसकी गवाही से पता चलता है कि मुख्य अभियुक्त एस. पी. था, जिसे अधोन्यायालय द्वारा सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है तथा इस न्यायालय के समक्ष अन्य अभियुक्तों की मिलीभगत की जाँच प्रश्नाधीन नहीं है। अभि०सा०-23 की गवाही से निर्गत होता है कि वर्तमान अपीलार्थी अपराध स्थल पर उपस्थित नहीं था। वास्तव में, एक भी व्यक्ति ने अपराध में अपनी संलिप्तता का खुलासा नहीं किया है। अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता का आधार, केवल सह-

अभियुक्त एसपी के प्रकटीकरण बयानों पर आधारित है कि वह सह-अभियुक्त एस के घर से बरामद किये गए पिस्तौल/गोलियाँ/जीवित कारतूस प्राप्त को बरामद करा सकता है। अधोन्यायालयों ने अन्य अभियुक्तों के संबंध में अभिसाक्षी के संस्करण के इस भाग पर अविश्वास किया। इसलिए, अपीलार्थी के अपराध को साबित करने में पहुंचने में उच्च न्यायालय का तर्क यदि आत्म-विरोधाभासी नहीं है तो अतार्किक है। [पैरा 20-22] [839-ई-एच; 840-ए]

1.4 अभिलेख पर कुछ भी नहीं है जो बताता हो कि वर्तमान अपीलार्थी ने अपराध कारित करने की साजिश रची थी। अधिक से अधिक, जैसा कि इस अभिसाक्षी की गवाही से प्रकट है, वर्तमान अपीलार्थी ने केवल प्रासंगिक दोषपूर्ण साक्ष्य/लेखों को छुपाया है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री किसी भी तरह से यह स्थापित नहीं करती है कि अपराध करने से पहले, अभियुक्त का अपराध करने का कोई सामान्य उद्देश्य, हेतुक या इरादा था, बिना अभिलेखों से प्रमाणित किए, आपराधिक साजिश और सामान्य इरादे का आरोप जो दंड संहिता की धारा 302 के साथ पढ़ा जाना है, विफल हो जाता है। धारा 120 ख के तहत आपराधिक साजिश के आरोप को स्थापित करने के लिए, एक गैरकानूनी कार्य करने के लिए पक्षों के बीच एक समझौता विद्यमान होना चाहिए। कुछ प्रकरणों में, षड्यंत्र स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य अनुपस्थित हो सकते हैं, लेकिन जब साक्ष्य की कमी स्पष्ट है, तो इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। आपराधिक साजिश के अपराध को साबित करने के लिए, इच्छित सामान्य उद्देश्य के लिए साजिशकर्ताओं के बीच समझौता दिखाना अनिवार्य है। इस प्रकार, वर्तमान अपीलार्थी को, केवल आपत्तिजनक सामग्री/वस्तुओं के स्थान को छिपाने के लिए और समझौते को स्थापित करने वाले

किसी भी सबूत के अभाव में, धारा 120 ख के तहत आपराधिक साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह देखते हुए कि अन्य सभी सह-अभियुक्तों को निर्दोष पाते हुए अधोन्यायालयों द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, जिससे आपराधिक साजिश की मौलिक आवश्यकता पूरी नहीं होती है। आपराधिक साजिश का आरोप इस आधार पर भी विफल हो जाता है कि केवल एक व्यक्ति साजिश नहीं रच सकता है। [पैरा 30-33] [841-ई-एच; 842-ए, बी-डी]

1.5 तलाशी के बारे में भी, जाँच अधिकारी की गवाही की सत्यता विभिन्न खामियों के कारण विश्वास में प्रेरक नहीं पाई गई है। क्योंकि उसने घर के मालिक की जाँच नहीं की; केस डायरी में उसकी गतिविधि दर्ज नहीं की; यह दर्ज नहीं किया कि वह अभियुक्त को बरामदगी करने के लिए ले गया था; उस क्षेत्र का स्पष्ट रूप से वर्णन करने में सक्षम नहीं था जहाँ से बरामदगी की गई थी; स्वीकार किया है कि दोनों स्वतंत्र साक्षी उस क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं जहाँ से बरामदगी की गई थी; तलाशी लेने के लिए क्षेत्र के किसी भी निवासी को संबद्ध नहीं किया है; किसी भी आगे की जांच करने के लिए किसी भी निवासी की परीक्षण नहीं किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरफ्तारी के ज्ञापन के साथ-साथ बरामदगी भी उसके द्वारा तैयार नहीं की गई है या उसके हस्ताक्षर नहीं हैं और उस पर भी उनमें कई सुधार और अधिलेखन हैं, जिससे इस दस्तावेज़ की शुद्धता और प्रामाणिकता कम हो जाती है। इसके अलावा, वह बरामद वस्तुओं के विवरण के बारे में स्पष्ट नहीं है। [पैरा 35 और 36] [843-ए-सी]

1.6 जाँच अधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसे जाँच की दिशा, गति, तरीका और विधि निर्धारित करने का काम सौंपा जाता है। यह दं०प्र०सं० के तहत एक वैधानिक कर्तव्य है तथा यह

एक संवैधानिक दायित्व भी है जो शांति बनाए रखना और विधि के शासन को बनाए रखना सुनिश्चित करता है। संबंधित मजिस्ट्रेट को उक्त अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अन्वेषण अधिकारी की भूमिका आवश्यक और महत्वपूर्ण है। "पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ" शीर्षक से, दं०प्र०सं० के अध्याय 12 में, प्रकृति में संज्ञेय अपराध कारित किये जाने की सूचना पर पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया और कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। [पैरा 38,40] [843-एफ, एच; 844-सी-डी]

1.7 अन्वेषण अधिकारी ने उन दायित्वों को पूरा नहीं किया जिनके तहत वह था। कई कमजोरियों ने अन्वेषण अधिकारी की जांच के संचालन को प्रभावित किया, जिसने उसके द्वारा उसके निर्देशों पर की गई जांच पर सवाल उठाया। [पैरा 44] [846-डी]

1.8 उच्च न्यायालय ने गवाहों की गवाही को उनके वास्तविक महत्व और अर्थ मूल्यांकन किए बिना तथा अभियुक्त की सहापराधिता के बारे में कोई चर्चा किए बिना, लापरवाहीपूर्वक, यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने प्रकरण, जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, को वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध स्थापित किया है। महत्वपूर्ण रूप से, उच्च न्यायालय का मानना है कि साक्ष्य से पता चलता है कि "सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा"। अन्य बातों के साथ-साथ, यह निष्कर्ष गलत पाया जाता है, क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से जुड़े प्रकरण में अभियुक्त के अपराध का निर्धारण करने का सिद्धांत, संभाव्यता का नहीं बल्कि निश्चितता का है और प्रस्तुत सभी साक्ष्य निर्णायक रूप से केवल एक एकल परिकल्पना की ओर

इशारा करते हैं, जो कि अभियुक्त का अपराध है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है। [पैरा 45-46] [846-E-H]

विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य (2015) 12 एस. सी. सी. 644:
 [2015] 9 एस. सी. आर. 977; डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
 (1997) 1 एस. सी. सी. 416: [1996] 10 सप्ली एससीआर 284;
 परवीन बनाम हरियाणा राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1184;
 गीता देवी बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन
 57; अमरनाथ चौबे बनाम भारत संघ (2021) 11 एस. सी. सी. 80;
 मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ (2014) 2 एस. सी. सी. 532:
 [2013] 17 एस. सी. आर. 1099; कॉमन कॉज बनाम भारत संघ
 (2015) 6 एस. सी. सी. 332: [2015] 6 एस. सी. आर. 731;
 पूजा पाल बनाम भारत संघ (2016) 3 एस. सी. सी. 135: [2016]
 11 एस. सी. आर. 560; भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयोग (1983) 3
 एस. सी. सी. 344: [1983] 3 एस. सी. आर. 109; मो. इमरान खान
 बनाम राज्य (रा.रा.क्षे। सरकार, दिल्ली), (2011) 10 एस. सी. सी.
 192: [2011] 15 एस. सी. आर. 1030- का संदर्भ दिया गया ।

निर्णय विधि सन्दर्भ

[2015] 9 एससीआर 977

का सन्दर्भ दिया गया

पैरा 12 में

[1996] 10 सप्ती एससीआर 284	का सन्दर्भ दिया गया	पैरा 27 में
(2021) 11 एस. सी. सी. 80	का सन्दर्भ दिया गया	पैरा 38 में
[2013] 17 एस. सी. आर. 1099	का सन्दर्भ दिया गया	पैरा 38 में
[2015] 6 एस. सी. आर. 731	का सन्दर्भ दिया गया	पैरा 39 में
[2016] 11 एस. सी. आर. 560	का सन्दर्भ दिया गया	पैरा 41 में
[1983] 3 एस. सी. आर. 109	का सन्दर्भ दिया गया	पैरा 42 में
[2011] 15 एस. सी. आर. 1030	का सन्दर्भ दिया गया	पैरा 43 में

दांडिक अपीलरीय अधिकारिता: आपराधिक अपीलसं.915/2016

आपराधिक अपील क्र. 468/2013 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के दिनांकित 14.01.2016 के निर्णय और आदेश से।

शिवाजी एम. जाधव, बृज किशोर साह, आदर्श कुमार पांडे, अपूर्वा, बलराज विरहा, रहमान अली, अधिवक्तागण - अपीलार्थी के लिए।

सुश्री अश्मिता सिंह, गौतम नारायण, अधिवक्तागण।- उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का निर्णय दिया गया, द्वारा:-

न्यायाधीश, संजय करोल

1. निम्नलिखित तीन प्रश्न विचार के लिए उठते हैं:

1. क्या वर्तमान प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय

12 के आधार पर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन किया था?

2. क्या अधोन्यायालय ने, उसी अपराध के संबंध में अन्य सभी सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-ख के तहत लगाए गए आरोप के संबंध में वर्तमान अपीलकर्ता - एक सह-अभियुक्त - के बारे में निष्कर्ष नहीं पलटने में गलती की है?

3. क्या अपीलार्थी को दोषी ठहराने वाला आक्षेपित निर्णय विधिक रूप से पोषणीय हैं या नहीं?

2. माधवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पंकज सिंह (पंकज सिंह के रूप में संदर्भित) ने आपराधिक अपील सं. 468/2013 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित दिनांकित आदेश 14.1.2016 के निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील दायर की है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध कारित करने के लिए ₹ 1000/- के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास तथा व्यतिक्रम में 6 महीने के अतिरिक्त कारावास से; भा०द०सं० की धारा 201 के तहत, ₹ 1000/- के अर्थदंड सहित 7 वर्ष के कठोर कारावास से तथा व्यतिक्रम में 6 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास से; आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1)(1-ख)(क) के तहत ₹ 1000/- के अर्थदंड सहित तीन वर्ष के कठोर कारावास से तथा व्यतिक्रम में 6 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डादिष्ट करके अकेले उसे दोषसिद्ध किया गया है। सजाएँ एक साथ चलने का दंडादेश दिया गया।

3. जिस घटना के कारण वर्तमान प्रकरण सामने आया वह यह था कि गोवर्धन अग्रवाल (इसके बाद से, मृतक) नाम के एक व्यवसायी और कुछ अन्य लोगों को धमकी दी गई थी और उनमें

से प्रत्येक से दस-दस लाख रुपये की मांग की गई थी। 26.9.2009 को मृतक, शाम करीब 7 बजे अपने कार्यालय से अपने घर के लिए निकला जब दो मोटरसाइकिल सवारों ने उसे गोली मार दी। उसे प्रबोध मिंज-अ०सा०-24 की कार में जिला अस्पताल, अंबिकापुर ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उस रात पुलिस थाना गाँधी नगर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-37) दर्ज की गई। शव को प्रदर्श पी-39 के तहत ज्ञापन के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उचित जाँच के बाद, एक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि सुनील पासवान, पंकज सिंह और पप्पु तिवारी सहित सभी आरोपी व्यक्ति एक साथ आए तथा समझौते के तहत गोवर्धन अग्रवाल की हत्या को अंजाम दिया या उसे कारित करने अंजाम दिया। उक्त समझौते के अनुसार, पप्पु तिवारी ने मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई, पंकज सिंह ने मृतक के उसके कार्यालय से खाना होने की जानकारी दी, अभिषेक सिंह ने 26.9.2009 को लगभग शाम 7: 00 बजे उक्त मोटरसाइकिल पर सुनील पासवान को पीछे बैठाकर हथियारों सहित ले गया जहाँ सुनील पासवान ने मृतक को गोली मार दी।

4. सत्र परीक्षण सं. 76/2010 में सुनील पासवान, माघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ पंकज सिंह, अखिलेश्वर प्रताप सिंह उर्फ ललित सिंह, और सिदकांत तिवारी उर्फ पप्पु तिवारी के विरुद्ध; एवं सत्र प्रकरण 166/2010 में मन्नू सिंह उर्फ ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मानवेन्द्र सिंह उर्फ अभिषेक सिंह, सतीश त्रिपाठी और गणेशदत्त मिश्रा के विरुद्ध विचारण को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने किया।

कुल अट्टाईस गवाहों का परीक्षण किया गया और विचारण न्यायालय ने निर्धारण के लिए आठ मुद्दे तैयार किए। मुद्दे ए, बी और सी, वर्तमान अपीलार्थी से संबंधित हैं। वे हैं ; क) क्या अभियुक्त व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ समझौते के तहत और आपराधिक साजिश के अनुसरण में

मृतक की हत्या की है; ख) क्या अभियुक्त एक-दूसरे के साथ समझौते के अंतर्गत हैं तथा एक दूसरे को सजा से बचाने के लिए विशेष वस्तुओं जैसे मोटरसाइकिल, पिस्तौल, कारतूस, स्कार्फ आदि को छिपाकर रखा और ग) क्या पंकज सिंह के पास बिना आवश्यक लाइसेंस के दो 9-एम. एम. पिस्तौल, उनके मैगजीन और तैंतीस जिंदा कारतूस पाए गए हैं।

5. विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने दिनांक 25.03.2013 के एक उभयनिष्ठ निर्णय द्वारा दोनों प्रकरणों का निपटारा किया। जिसके द्वारा ऊपर नामित सात व्यक्तियों में से एक, अर्थात् अखिलेश्वर प्रताप सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया था, तथा अन्य को भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों और कुछ मामलों में शस्त्र अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत दोषसिद्ध ठहराया गया था और दण्डादिष्ट किया गया था।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष कुल पाँच अपीलें दायर की गईं। सभी अभियुक्त व्यक्तियों की स्थिति इस प्रकार है:

अभियुक्त	आरोप	विचारण न्यायालय	उच्च न्यायालय
1. सुनील पासवान	दं०प्र०सं०-धारा 302/120 ख, 201(1), 120 ख	दोषसिद्ध, आजीवन कारावास	दोषमुक्त
2. माघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ पंकज सिंह	दं०प्र०सं०-धारा 302, 120 ख, 201(1)/120, आयुध अधिनियम- 25(1)(1-ख)क	दोषसिद्ध, आजीवन कारावास	दोषसिद्ध
3. अखिलेश्वर प्रताप	दं०प्र०सं०-धारा 212	दोषमुक्त	अपील नहीं किया

सिंह उर्फ ललित सिंह			
4. सिद्धकांत तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी	दं०प्र०सं०-धारा 302/120 ख, 201(1), 120 ख		
5. मन्नू सिंह उर्फ	दं०प्र०सं०-धारा 302/120 ख	दोषसिद्ध,	दोषमुक्त
ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मानवेन्द्र सिंह उर्फ अभिषेक सिंह	दं०प्र०सं०-धारा 201(1), 120 ख	आजीवन कारावास	
6. सतीश त्रिपाठी	दं०प्र०सं०-धारा 212(1), 201(1), 120 ख	दोषसिद्ध, पाँच वर्ष का कठोर कारावास	दोषमुक्त
7. गणेशदत्त मिश्रा	दं०प्र०सं०-धारा 212(1)	दोषसिद्ध, पाँच वर्ष का कठोर कारावास	दोषमुक्त

7. उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.01.2016 के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से वर्तमान अपीलार्थी माधवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पंकज सिंह को छोड़कर सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।

8. इसलिए इस न्यायालय को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए दोषसिद्धि निर्णय और सजा, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से पुष्टि की गई है, की शुद्धता की जांच करने का निवेदन किया गया है।

आक्षेपित निर्णय

9. आक्षेपित निर्णय के संदर्भ में दोषियों (संख्या में पांच) द्वारा दायर अपील में, उच्च न्यायालय ने अन्य सभी दोषियों यथा- सतीश त्रिपाठी, गणेश दत्त मिश्रा, मन्नू सिंह और सुनील पासवान को दोषमुक्त करते हुए, पंकज सिंह को दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है, जैसा कि ऊपर दोहराया गया है। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा हेतु आशीष अग्रवाल (अ०सा०-1), नरेश मंडल (अ०सा०-6), अविनाश तिर्की (अ०सा०-7) तथा इंस्पेक्टर जेएस सगू(अ०सा०-23), अन्वेषण अधिकारी के परिसाक्ष्य को पंकज सिंह के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त पाया। अपने निर्णय के पैराग्राफ 49 में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"49. सम्यक विचारोपरांत, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी माघवेन्द्र के विरुद्ध संपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित कर दिया है। परिस्थितियाँ पूरी तरह से केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप स्थापित की गई हैं तथा यह किसी अन्य परिस्थिति, सिवाय इसके कि अपीलार्थी माघवेन्द्र दोषी है, द्वारा समझाया नहीं जा सकता है एवं अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किया गया साक्ष्य निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति का है। साक्ष्य की श्रृंखला पूरी हो चुकी है, इससे सभी मानवीय संभावनाओं से पता चलता है कि यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। अभियोजन पक्ष ने विधिवत साबित कर दिया है कि अपीलार्थी माघवेन्द्र ने गोवर्धन अग्रवाल की हत्या की थी और शस्त्र अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उसके पास आग्नेयास्त्र और कारतूस भी थे और पिस्तौल, कारतूस और अन्य वस्तुओं को छिपाकर, उसने किए गए

अपराध के सबूत गायब कर दिए थे। अभियुक्त माघवेन्द्र को दी गई दोषसिद्धि में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह अच्छी तरह से स्थापित है।"

अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करना

10. यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष का प्रकरण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, क्योंकि घटना स्थल पर कोई भी मौजूद नहीं पाया गया था।

11. इसके अलावा, यह भी अभियोजन पक्ष का प्रकरण नहीं है कि वर्तमान अपीलार्थी ने उसके बयान(प्रदर्श पी-15), जिसे कथित तौर पर पुलिस अधिकारी (अ०सा०-23) के सामने स्वतंत्र गवाहों, नरेश मंडल (अ०सा०-6) और अविनाश तिकी (अ०सा०-7) की उपस्थिति में दिया गया था, के आधार पर कथित रूप से बरामद बंदूक का इस्तेमाल किया था या मृतक को उससे गोली मारी थी।

12. यहाँ, विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य {(2015) 12 एस. सी. सी. 644} के प्रकरण में निहित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के इर्द-गिर्द घूमने वाले मामलों के सामान्य सिद्धांत का उल्लेख करना सहायक होगा। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"8. घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और पूरा प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। सामान्य सिद्धांत यह है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए। यह कि ये परिस्थितियाँ त्रुटिहीन रूप से, अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए; यह

कि संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध, अभियुक्त द्वारा किया गया था और उन्हें शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य {शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 : 1984 एससीसी (सीआरआई) 487] के निर्णय अनुसार अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी परिकल्पना का स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए और उनकी बेगुनाही के साथ असंगत होना चाहिए। यही दृष्टिकोण बबलू बनाम राजस्थान राज्य [बबलू बनाम राजस्थान राज्य, (2006) 13 एससीसी 116 : (2007) 2 एससीसी (सीआरआई) 590] के प्रकरण में दोहराया गया था"

13. इस तथ्य के आलोक में कि सभी सह-अभियुक्त जिन्होंने अपीलें दायर की थी, वे अधोन्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिए गए हैं, इसलिए, इस गवाह के परिसाक्ष्य का पूरी तरह से मूल्यांकन करते हुए, न्यायालय, विवेचनाओं को केवल वर्तमान अपीलार्थी, अर्थात् पंकज सिंह तक सीमित रखती है।

14. दिलचस्प बात यह है कि स्वतंत्र गवाह (अ०सा०-6 और अ०सा०-7) में से किसी ने भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। लोक अभियोजक द्वारा की गई व्यापक प्रतिपरीक्षा के बावजूद, उनकी गवाही से अभियुक्त के किसी भी अपराध का संकेत देने वाली कोई ठोस बात सामने नहीं आ सकी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों गवाह दिहाड़ी मजदूरों के रूप में

काम करने वाले देहाती ग्रामीण हैं, जिन्होंने खाली कागजों पर हस्ताक्षर किए हैं और वे क्षेत्र के निवासी नहीं हैं।

15. अ०सा०-6 की गवाही के अवलोकन से निर्विवाद रूप से पता चलता है कि गवाह ने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे जो खाली थे, जिनका कथित रूप से पुलिस द्वारा अपराध करने के लिए इस प्रकरण को मजबूत करने के लिए उपयोग किया गया था।

16. अ०सा०-6, यह कहते हुए कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है, स्वीकार करता है कि उसके हस्ताक्षर कई दस्तावेजों पर हैं। वह आगे कहता है कि उसने पुलिस अधिकारियों की धमकी से खाली कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। इस तरह का बयान उस विषय के लिए निर्विवाद है क्योंकि रिकॉर्ड इस मुद्दे या किसी अन्य मुद्दे के लिए, किसी भी प्रतिपरीक्षा को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

17. हम यह भी देखते हैं कि अ०सा०-7, उन व्यक्तियों में से एक, जिन पर अधोन्यायालयों द्वारा भरोसा किया गया था, कहता है कि वह आरोपी व्यक्तियों को नहीं जानता है और उसे समाचार पत्रों को पढ़ने से पता चला था कि मृतक की हत्या की गई थी।

18. हम यह भी देख सकते हैं कि अ०सा०-1, अर्थात् मृतक के भतीजे आशीष अग्रवाल ने किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है, न ही उन्होंने किसी भी आरोपी के विरुद्ध कोई संदेह या उंगली उठाई है, वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध तो भी बिलकुल नहीं। उसका कहना है कि उसे "इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कितने लोग के द्वारा, किस तरीके से आये और गोली से चाचा को मारा गया।

19. अन्वेषण अधिकारी-इंस्पेक्टर जेएस सगू(अ०सा०-23) की गवाही 97 पृष्ठों में है। उसी की बारीकी से जाँच से पता चलता है कि यह गवाह, हत्या के अपराध की जाँच करने के लिए, एक पुलिस अधिकारी से होने वाली अपेक्षा और आवश्यकता के अनुसार, जाँच करने में बुरी तरह विफल रहा। विशेष रूप से जब एक भी चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं है तथा पूरा मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

20. श्री गोवर्धन अग्रवाल के मानववध पर कोई विवाद नहीं है। चाहे जो भी हो, अन्वेषण अधिकारी की गवाही में यह आया है कि 27.9.2009 को, शिकायत दर्ज करने के बाद, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया; प्रारंभिक जाँच की; शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और कई आपत्तिजनक वस्तुओं को एकत्र किया।

21. यह ध्यान देने योग्य है कि उनकी गवाही से पता चलता है कि मुख्य आरोपी सुनील पासवान था, जिसे अधोन्यायालय द्वारा सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है और इस न्यायालय के समक्ष अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता की जांच प्रश्नाधीन नहीं है।

22. अ०सा० 23 की गवाही से आगे पता चलता है कि वर्तमान अपीलार्थी अपराध स्थल पर उपस्थित नहीं था। वास्तव में, एक भी व्यक्ति ने अपराध में अपनी संलिप्तता का खुलासा नहीं किया है। अपराध में पंकज सिंह की संलिप्तता का पता, केवल सह-अभियुक्त सुनील पासवान के प्रकटीकरण बयानों(प्रदर्श पी-13) के आधार पर है कि वह सह-अभियुक्त अभिषेक सिंह के घर से बरामद किये गए पिस्तौल/गोलियाँ/जीवित कारतूस को बरामद करा सकता है। अधोन्यायालयों ने अन्य अभियुक्त से संबंधित, अभिसाक्षी के बयान के इस हिस्से पर विश्वास नहीं किया है। इसलिए,

पंकज सिंह के दोष पर पहुंचने में उच्च न्यायालय का तर्क यदि स्वविरोधाभासी नहीं है तो अतार्किक है।

23. इसके अलावा, हम देखते हैं कि 12.10.2009 को, पंकज सिंह को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, जहाँ उसने अपना बयान दर्ज किया, जो उस बात की पुष्टि करता है जो सुनील पासवान ने कथित रूप से अभिषेक सिंह के घर से हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी का समर्थन करने में सक्षम होने के बारे में कहा था। बयान के तहत, आपत्तिजनक सामग्री, अर्थात्, तीन बंदूकें (एक खाली कारतूस के साथ); 9 मिली मी. के तैंतीस जिंदा कारतूस; छह खाली 9 मिमी के कारतूस और चार खाली 9 मिमी के कारतूस, ज्ञापन प्रदर्श पी-14 के माध्यम से बरामद किए गए। उन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ की प्रयोगशाला में भेजा गया था। इसके अलावा, उसके बयान से पता चलता है कि आरोपी पंकज सिंह को 22.10.2019 को ज्ञापन प्रदर्श पी-21/पी-22 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था।

24. अब महत्वपूर्ण रूप से, गवाह (अ०सा०-23) स्वीकार करते हैं कि सुनील पासवान और पंकज सिंह के बयान, न तो उनके द्वारा या न ही उनके निर्देश पर किसी अन्य नामित व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए हैं। यदि ऐसा था, तो यह सवाल उठाता है कि इन ज्ञापनों को किसने तैयार किया, जिसका जवाब अभी भी अभियोजन पक्ष द्वारा दिए जाने की आवश्यकता है।

25. यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो बैलिस्टिक रिपोर्ट, अर्थात्, विशेषज्ञ की रिपोर्ट को दृढ़ता से साबित करता है। इसके अलावा, न तो रासायनिक

विश्लेषण का विश्लेषण और संचालन करने वाले विशेषज्ञ और न ही रिपोर्ट के लेखक की परीक्षा की गई।

26. जाँच अधिकारी का बयान कि अपीलार्थी पंकज सिंह को पुलिस थाने में बुलाया गया था, विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई लिखित साक्ष्य नहीं है जो इसे दर्शाता हो। इसके अलावा, यह भी उसका बयान नहीं है कि उसे किसी अन्य तरीके से बुलाया गया था या सह-आरोपी उसे पुलिस स्टेशन लाया था।

27. हम पाते हैं कि अ०सा०-23 ने रिकॉर्ड में किसी भी केस डायरी को नहीं रखा है जो बरामदगी के स्थान पर उसकी कार्यवाहियों का संकेत देती हो। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। यह भी देखा गया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले, किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को कभी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अलावा, कुछ अभियुक्तगण, जो दूसरे राज्य के थे, उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के निवासियों को उनके रिश्तेदारों को कोई जानकारी दिए बिना गिरफ्तार किया गया था। यह डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य {(1997) 1 एस. सी. सी. 416} के प्रकरण में जारी निर्देशों का उल्लंघन है, जिसका प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:-

"(3) एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है और जिसे पुलिस स्टेशन या पूछताछ केंद्र या अन्य लॉक-अप में हिरासत में रखा जा रहा है, वह एक दोस्त या रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को उसके बारे में जानने या उसके हित में रुचि रखने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द यह सूचित करने का हकदार होगा कि उसे गिरफ्तार

कर लिया गया है और विशेष स्थान पर निरोध में रखा जा रहा है, जब तक कि गिरफ्तारी के ज्ञापन का प्रमाणक गवाह स्वयं गिरफ्तार व्यक्ति का ऐसा दोस्त या रिश्तेदार न हो।

(4) गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर जिले में कानूनी सहायता संगठन और संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत के स्थान को पुलिस द्वारा सूचित किया जाना चाहिए वहां गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या रिश्तेदार जिले या शहर से बाहर रहता है।"

28. इन निर्देशों के अनुसरण में, "अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट" के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 79 पुरःस्थापित की गई थी।

29. रिकॉर्ड से यह पता नहीं चलता है कि जिस घर से बरामदगी हुई थी, वह आरोपी अभिषेक सिंह का था। तलाशी लिए जाने के संबंध में, हम यह भी देख सकते हैं कि घर के मालिक से पूछताछ नहीं की गई थी। इससे यह सवाल पैदा होता है कि अगर अभिषेक और सुनील दोनों को आपत्तिजनक वस्तुओं की स्थिति के बारे में पता था, तो ऐसा क्यों है कि उनके बयानों या उनके माध्यम से बरामदगी नहीं हुई?

30. अभिलेख पर कुछ भी यह नहीं दिखाता है कि वर्तमान अपीलार्थी ने अपराध करने की साजिश रची थी। जैसा कि इस साक्षी की गवाही से प्रकट है, वर्तमान अपीलार्थी ने, अधिक से अधिक, केवल प्रासंगिक दोषपूर्ण साक्ष्य/वस्तुओं को छुपाया है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री किसी

भी तरह से यह स्थापित नहीं करती है कि अपराध करने से पहले, अभियुक्त का अपराध करने का कोई सामान्य उद्देश्य, हेतुक या इरादा था, बिना अभिलेखों से प्रमाणित किए, आपराधिक साजिश और सामान्य आशय का आरोप जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ देखा जाना है, विफल हो जाता है।

31. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 ख के तहत आपराधिक साजिश के आरोप को स्थापित करने के लिए, एक गैरकानूनी कार्य करने के लिए पक्षों के बीच एक समझौता, विद्यमान होना चाहिए। कुछ प्रकरणों में, षड्यंत्र स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य अनुपस्थित हो सकते हैं, लेकिन जब साक्ष्य की कमी स्पष्ट है, तो इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। आपराधिक साजिश के अपराध को साबित करने के लिए, इच्छित सामान्य उद्देश्य के लिए साजिशकर्ताओं के बीच समझौता दिखाना अनिवार्य है। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने परवीन बनाम हरियाणा राज्य, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1184 के प्रकरण में कहा कि "यहां के कुछ अंश और वहां के कुछ अंश जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, अभियुक्त को आपराधिक साजिश के अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। "

32. इस उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि वर्तमान अपीलार्थी को, केवल आपत्तिजनक सामग्री/वस्तुओं के स्थान को छिपाने के लिए और समझौते को स्थापित करने वाले किसी भी सबूत के अभाव में, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 ख के तहत आपराधिक साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह देखते हुए कि अन्य सभी सह-अभियुक्तों

को निर्दोष होने के आधार पर, अधोन्यायालयों द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, इससे आपराधिक साजिश की मौलिक आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

33. कहने की जरूरत नहीं है कि आपराधिक साजिश का आरोप इस आधार पर भी विफल हो जाता है कि केवल एक व्यक्ति साजिश नहीं रच सकता है।

34. जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, हम गीता देवी बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य {2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन 57} के प्रकरण में इस न्यायालय के हाल के निर्णय का उल्लेख हैं जिसमें यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय को प्रथम अपीलिय न्यायालय होने के कारण रिकॉर्ड पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन तथा उस पर चर्चा करनी चाहिए। यदि वर्तमान मामले में यह पूरी तरह से किया जाता, तो उच्च न्यायालय भा०द०सं० की धारा 120-बी पर एक निष्कर्ष दे पाता। आपराधिक षड्यंत्र के आरोप के लिए अपराध करने से पहले समझौते की आवश्यकता होती है, और पांच में से चार अपीलियों को अनुमति देने से और केवल वर्तमान अपीलार्थी के दोषसिद्ध होने से, धारा की मूल आवश्यकता, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति है या एक अवैध कार्य या एक ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो स्वयं अवैध नहीं है लेकिन यह अवैध तरीकों से किया जाता है, पूरी नहीं होती है। हालाँकि, आक्षेपित निर्णय में केवल यह दर्ज किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 10 और 30, जो एक साजिशकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध एक सिद्ध संस्वीकृति के संदर्भ में कही गई या की गई बातों से संबंधित है, लागू नहीं होती हैं और फिर यह टिप्पणी की गई है कि पंकज सिंह को दी गई सजा में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, न्यायालय का तात्पर्य है कि आपराधिक साजिश के लिए सजा सहित संपूर्ण दोषसिद्धि को

बरकरार रखा जाता है। इस न्यायालय के मत में इस तरह के दृष्टिकोण को कायम नहीं रखा जा सकता है।

35. तलाशी के बारे में भी, हम विभिन्न खामियों के कारण अन्वेषण अधिकारी की गवाही की सच्चाई को विश्वास में प्रेरक नहीं पाते हैं। क्योंकि उन्होंने (क) घर के मालिक से पूछताछ नहीं की; (ख) केस डायरी में अपनी गतिविधि दर्ज नहीं की; (ग) यह दर्ज नहीं किया कि वह अभियुक्त को बरामदगी करने के लिए ले गया था; (घ) उस क्षेत्र का स्पष्ट रूप से वर्णन करने में सक्षम नहीं था जहां से बरामदगी की गई थी; (ङ) दोनों स्वतंत्र गवाहों को स्वीकार करता है, जो उस क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं जहां से बरामदगी की गई थी; (च) तलाशी लेने के लिए क्षेत्र के किसी भी निवासी को संबद्ध नहीं करता है; (छ) आगे की जांच करने के लिए किसी भी निवासी की परीक्षा नहीं करता है और (छ) सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वीकार करता है कि गिरफ्तारी का ज्ञापन और साथ ही बरामदगी भी उसके द्वारा तैयार नहीं की गई थी या उसके हस्ताक्षर नहीं थे और उस पर कई सुधार और अधिलेखन थे, इस प्रकार, इस दस्तावेज की शुद्धता और प्रमाणिकता कम हो गई।

36. इसके अलावा, वह बरामद वस्तुओं के विवरण के बारे में स्पष्ट नहीं है। उदाहरणार्थ, ज्ञापन में, उन्होंने एक काले रंग का दुपट्टा बरामद होने का उल्लेख किया है, लेकिन न्यायालय द्वारा पूछे गए एक स्पष्ट प्रश्न पर, उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं है, बल्कि केवल एक काला कपड़ा है जिसे निस्संदेह एक दुपट्टे के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, उनके दिमाग में इस विषय में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है कि जिस टंकी से सामान बरामद किया गया था, वह पानी से भरा था या नहीं।

37. यह रिकॉर्ड में आया है कि बरामद किए गए हथियारों और आयुध-संभार को पहले रायपुर की प्रयोगशाला में और उसके बाद चंडीगढ़ की प्रयोगशाला में भेजा गया था। हालांकि, उक्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त रिपोर्ट को साबित करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया था। इसके अलावा, बरामद वस्तुओं से आरोपी को जोड़ने वाले किसी अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य के अलावा रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है।

38. अन्वेषण अधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसे जाँच की दिशा, गति, तरीका और विधि निर्धारित करने का काम सौंपा जाता है। अमरनाथ चौबे बनाम भारत संघ {(2021) 11 एस. सी. सी. 80} के प्रकरण में, यह देखा गया कि पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपराध की रिपोर्ट प्राप्त करने पर जाँच करे। मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ {(2014) 2 एस. सी. सी. 532} के प्रकरण में, इस न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारियों में से एक नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा है। अपराधी को सजा दिलाने और सच्चाई की अंतिम खोज को सुविधाजनक बनाने के लिए, अपराधों की जांच पुलिस द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। यह दं०प्र०सं० के तहत एक वैधानिक कर्तव्य है तथा यह एक संवैधानिक दायित्व भी है जो शांति बनाए रखना और कानून के शासन को बनाए रखना सुनिश्चित करता है।

39. अपराध की जाँच करने वाले एक अधिकारी पर रोपित जिम्मेदारी पर, इस न्यायालय ने कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ {(2015) 6 एस. सी. सी. 332} में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"31. यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक निर्दोष व्यक्ति पर आपराधिक विचारण न चले, एक जांच एजेंसी पर बहुत उच्च स्तर की जिम्मेदारी रखी जाती है। यह जिम्मेदारी

एक जांच अधिकारी या एक जांच एजेंसी के लिए समान रूप से उच्च स्तर की नैतिक ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि जांच बिना किसी पूर्वाग्रह के की जाए और न केवल आरोपी व्यक्ति के लिए बल्कि किसी भी अपराध के पीड़ित के लिए भी पूरी निष्पक्षता से की जाए, चाहे पीड़ित, एक व्यक्ति हो या राज्य। "

40. यह सर्वविदित है कि संबंधित मजिस्ट्रेट को उक्त अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अन्वेषण अधिकारी की भूमिका आवश्यक और महत्वपूर्ण है। दं०प्र०सं० के अध्याय 12 में "पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ" शीर्षक से, प्रकृति में संज्ञेय अपराध की प्राप्ति पर पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया और कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। धारा 156 जाँच की शक्ति निर्धारित करती है; धारा 157 उसकी प्रक्रिया; धारा 160 गवाह की उपस्थिति की अपेक्षा करने की शक्ति, धारा 161 ऐसे गवाह, आदि की परीक्षा आयोजित करती है, धारा 172 ऐसे पुलिस अधिकारी से एक केस डायरी बनाए रखने की अपेक्षा करती है और धारा 173 ऐसे अधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट के लिए प्रारूप और प्रक्रिया निर्धारित करती है।

41. इस न्यायालय ने पूजा पाल बनाम भारत संघ {(2016) 3 एस. सी. सी. 135} के प्रकरण में में आपराधिक जांच और इसकी सफलता के लिए निम्नानुसार व्याख्या की है:

"96. आपराधिक जाँच के घोषित उद्देश्य और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के आगमन के साथ इसकी प्रभावी संभावनाओं को पॉल बी. वेस्टन और रेनेथ एम. वेल्स

द्वारा "बेसिक पर्सपेक्टिव" ग्रंथ में आपराधिक जाँच के इतिहास के संव्यवहारित प्रारंभिक अध्याय में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है:

"आपराधिक जाँच, एक अवैध कार्य या चूक की परिस्थितियों और उसके साथ आने वाली मानसिक स्थिति के पुनर्निर्माण में उपयोगी लोगों और चीजों के लिए एक विधिपूर्ण खोज है। यह ज्ञात से लेकर अज्ञात तक, भूतकाल में, जाँच कर रहा है, और इसका लक्ष्य, किसी तथ्योत्तर जाँच में जहाँ तक हो सके सच्चाई का निर्धारण करना है।

सफल अन्वेषण, जांच के अंतर्गत किसी घटना के सही तथ्यों की विधिक रूप से खोज करने में निष्ठा, सटीकता और ईमानदारी पर और जांच के परिणामों को प्रतिवेदित करने में समान विश्वसनीयता, सटीकता और ईमानदारी पर आधारित होती है। आधुनिक जांचकर्ता वे व्यक्ति हैं जो सच्चाई पर टिके रहते हैं और किसी घटना के समय और स्थान और साक्ष्य के मापने योग्य पहलुओं के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं। वे अपनी संपूर्ण जाँच के दौरान पूरी तरह से यह मानते हुए काम करते हैं कि एक मामूली विरोधाभास या त्रुटि भी उनकी जाँच में विश्वास को नष्ट कर सकती है।

पारंपरिक आपराधिक जांच तकनीकों के साथ विज्ञान का जुड़ना आपराधिक जांच में दक्षता के नए क्षितिज प्रदान करता है। जांच में नए दृष्टिकोण, मुखबिरों और अभिरक्षा पूछताछ पर निर्भरता को दरकिनार करते हैं और भौतिक साक्ष्य के लिए अपराध स्थल की कुशल स्कैनिंग और अधिक से अधिक गवाहों की खोज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मूक साक्ष्य न्यायालय में, या तो अपनी स्वयं की प्रदर्शनशीलता से या इसके वैज्ञानिक

परीक्षण में शामिल एक विशेषज्ञ गवाह की गवाही के माध्यम से अपनी कहानी बताता है। इस तरह के साक्ष्य, पुलिस द्वारा पाए गए और साक्षात्कार किए गए गवाहों के साक्ष्य के बदले में या पुष्टि के रूप में काम कर सकते हैं, जो अपराध होने की सभी परिस्थितियों की सच्चाई का पता लगाने के लिए उनकी जिम्मेदारी का विस्तार है। अपराधों को हल करने में बढ़ती निश्चितता संभव है और यह अपराध के प्रमुख निवारक -यह निश्चितता कि एक अपराधी का पता लगाया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसे दोषी ठहराया जाएगा, में योगदान प्रदान करेगा।"

(प्रभाव वर्धित)

42. केस डायरी के संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयोग {(1983) 3 एस. सी. सी. 344} के प्रकरण में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने यह अवलोकन किया गया है कि पुलिस डायरी में प्रविष्टियां (ए) शीघ्रता; (बी) पर्याप्त विस्तार से; (सी) सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करने वाली; (डी) कालानुक्रमिक क्रम में; और (ई) पूरी निष्पक्षता के साथ होंगी।

43. इस न्यायालय ने इमरान खान बनाम राज्य (दिल्ली, रा.रा.क्षे. सरकार) {(2011) 10 एस. सी. सी. 192} के प्रकरण में, आपराधिक जाँच पर आपत्तिजनक विशेषताओं और दुर्बलताओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार कहा:

"31. आपराधिक अपराध की जाँच सभी आपत्तिजनक विशेषताओं या दुर्बलताओं से मुक्त होनी चाहिए जो वैध रूप से किसी भी पक्ष के शिकायत का कारण बन सकती है कि जाँच अनुचित थी या किसी अन्य उद्देश्य से की गई थी जिसका किसी भी पक्ष के मामले

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अन्वेषण अधिकारी से, किसी भी पक्ष को किसी भी तरह की रिष्टि या उत्पीड़न से बचाते हुए, अपराध की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। उसे निष्पक्ष और सचेत रहना होगा ताकि पक्षपात या निष्पक्ष आचरण की किसी भी संभावना को खारिज किया जा सके ताकि उसके आचरण पर किसी भी प्रकार का संदेह दूर किया जा सके और खोजी व्यावसायिकता के लिए नैतिक आचरण बिल्कुल आवश्यक है।

जाँच अधिकारी

"केवल ऐसे साक्ष्य के साथ अभियोजन पक्ष के प्रकरण को मजबूत करने के लिए नहीं है जो न्यायालय को दोषसिद्धि दर्ज करने में सक्षम बना सके, बल्कि वास्तविक अप्रमाणित सत्य को सामने लाने के लिए है।"

44. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें तथ्यों के वर्तमान संग्रह पर लागू करते हुए, हम देख सकते हैं कि अन्वेषण अधिकारी ने उस पर अधिरोपित दायित्वों को पूरा नहीं किया। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, कई विसंगतियों ने अन्वेषण अधिकारी के आचरण को प्रभावित किया, एवं विश्वसनीय रूप से, उसके द्वारा या उसके निर्देशों पर की गई जांच पर सवाल उठाया।

निष्कर्ष

45. न्यायालय की सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने ऊपर वर्णित गवाहों की गवाही को उनके वास्तविक महत्व और अर्थ में महत्व दिए बिना, और अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में कोई चर्चा किए बिना, लापरवाहीपूर्वक, यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध, परिस्थितिजन्य प्रकृति पर आधारित प्रकरण स्थापित कर दिया है। महत्वपूर्ण रूप से, उच्च

न्यायालय का मानना है कि साक्ष्य से पता चलता है कि "सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा"। अन्य बातों के साथ-साथ, यह वह निष्कर्ष है जिसे हम गलत पाते हैं, क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से जुड़े प्रकरण में अभियुक्त के अपराध का निर्धारण करने का सिद्धांत संभावना का नहीं बल्कि निश्चितता का है और प्रस्तुत सभी साक्ष्य निर्णायक रूप से केवल एक एकल परिकल्पना की ओर इशारा करने चाहिए, जो कि अभियुक्त पंकज सिंह को दोषी बनाता हो ।

46. उपरोक्त को देखते हुए, आपराधिक अपील क्र. 468/2013 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा माघवेंद्र प्रताप सिंह @पंकज सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य शीर्षक से पारित 14.1.2016 दिनांकित निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपील स्वीकार की जाती है।

47. ऊपर उल्लिखित तीन प्रश्नों का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

48. यदि पहले से रिहा नहीं किया गया है, तो आरोपी को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निस्तारण किया जाता है।

निधि जैन
(सहायक-राखी, एलसीआरए)

अपील मंजूर की गई।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप** ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।